11/11/19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित है। मजीद बहस हेतु पत्रावली दिनांक 21.11.19 को पेश हो। जो सं. (5) के तामिल मुकाम हेतु अवकाश चाहते है। आगामी तारीख दिनांक 21.11.19 को अधिवक्ता स्वयं से पेश करे।

21/11/19 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में बारम्बार आवाजे लगवाई गई परन्तु स्वयं वादी या उसके अधिवक्ता कोई उपस्थित नही हुए। लिहाजा प्रकरण अदम हाजरी/अदम पैरवी मे खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से रूम हो। निर्णय सुने न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ जिला राजसमन्द